(वाद सं0–1274/4/38/2021)

20.09.2022

परिवादी, गिरिजानन्द मिश्र, सेवानिवृत गृहरक्षक (340586) उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी को वार्धक्य की सेवानिवृति की आयु 60 (साठ) वर्ष पूरी होने के पूर्व ही 58 (अट्ठावन) वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत कर दिये जाने व तद्नुसार 02 वर्षों के अन्य लाभों से वंचित हो जाने से सम्बन्धित है।

परिवादी का कथन है कि उसने गृहरक्षक के रूप में दिनांक–20.11.1976 को योगदान दिया था तथा समय–समय पर उसके द्वारा गृहरक्षक का नवीकरण कराया जाता रहा। तत्पश्चात् दिनांक–01.01.1976 को उसकी उम्र 19 वर्ष मानकर उसे दिनांक–31.12.2014 को सेवानिवृत कर दिया गया। परिवादी का कथन है कि गृहरक्षक की सेवानिवृति की आयु सीमा 58 (अट्ठावन) वर्ष से 60 (साठ) वर्ष कर दिये जाने के बाद उसे नियमानुसार दिनांक–31.12.2016 को सेवानिवृत होना था, लेकिन उसे दिनांक–31.12.2014 को ही सेवानिवृत कर दिया गया तथा 02 (दो) वर्ष के लाभों से उसे वंचित कर दिया गया।

उपरोक्त पर जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल से प्रतिवेदन की माँग की गई, जो संचिका के (पृष्ठ 16–15/प0) पर रक्षित है। जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी की नियुक्ति The Bihar Home Guard Rules, 1958 के प्रावधानानुसार की गई थी। उक्त Rules के कंडिका–4 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि नियुक्ति के वर्ष की

पहली जनवरी को न्यून्तम 19 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए। परिवादी की नियुक्ति वर्ष 1976 में हुई है। अतः दिनांक–01.01.1976 को उसकी न्युनतम उम्र 19 वर्ष मानी गई। उस समय गृहरक्षक की सेवानिवृति की आयु सीमा 58 (अट्ठावन) वर्ष थी। फलतः परिवादी की दिनांक–31.12.2014 को 58 (अट्ठावन) वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसे सेवानिवृत कर दिया गया। बाद में बिहार सरकार के ज्ञापांक–7381 दिनांक–03.07.2015 के द्वारा गृहरक्षकों के कार्यरत्त रहने की आयु सीमा को 58 (अट्ठावन) वर्ष से बढ़ाकर 60 (साठ) वर्ष कर दिया गया। उक्त संकल्प के निर्गत होने के पूर्व ही परिवादी सेवानिवृत हो चुके थें, अतः उक्त संकल्प का लाभ परिवादी पाने के अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी ने अपने प्रत्युत्तर में जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल के प्रतिवेदन का प्रतिवाद कर पुनः सरकार के 2015 के संकल्प के आलोक में समस्त सुविधाओं की मांग की गई।

अब जबकि परिवादी गृह (विशेष) विभाग, बिहार के संकल्पों के ज्ञापांक–7381 दिनांक–03.07.2015 द्वारा निर्गत संकल्प के, निर्गत होने की तिथि से पूर्व ही सेवानिवृत हो चुके थें, अतः परिवादी उपरोक्त संकल्प में उल्लेखित लाभों को प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते है।

प्रथम दृष्टतया परिवादी उपरोक्त संकल्प के शर्तों की अहर्ता को पूरा नहीं करते है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग द्वारा कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ, जिला समादेष्टा, बिहार गृहरक्षक वाहिनी, सुपौल के प्रतिवेदन (पृष्ठ 45–16/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक